

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

पत्रांक 690 /ओबरा/33

दिनांक, 10-9-2021.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- 400 के0वी0 अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में विभिन्न वन प्रभाग में प्रभावित कुल 319.28हे0 वन भूमि का लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/32650/2018)

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट का पत्रांक-2815/ रेनुकूट/ 15-7 दिनांक-11.02.2020, प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र का पत्रांक-2802/सोनभद्र/33 दिनांक-26.05.2020 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर का पत्रांक-3228/मीरजापुर/15 दिनांक-17.02.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक-सा0 5173/मी0क्षे0/33 दिनांक-30.05.2020.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाला वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर एवं मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ता है, भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	प्रस्ताव से सम्बन्धित भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)
1	रेनुकूट वन प्रभाग	98.28
2	ओबरा वन प्रभाग	113.048
3	सोनभद्र वन प्रभाग	15.79
4	मीरजापुर वन प्रभाग	37.51
5	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर	54.652
	योग:-	319.28हे0

उपरोक्त वन भूमि का लीज नवीनीकरण का रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र, त्र मीरजापुर का समेकित प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक-1698/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/32650/2018 दिनांक-14.01.2021 द्वारा प्रभागवार कमियों का इंगित करते हुए, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया गया है। जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग तथा रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक-2974/रेनुकूट/15 दिनांक-03.03.2021, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का

पत्रांक-278/सोनभद्र/33 दिनांक-04.08.2021, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक-3972/मी0/15 दिनांक-16.04.2021 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्र संख्या-207/33-1 दिनांक-24.07.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण करते हुए, सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रस्तावक विभाग तथा सम्बन्धित वन प्रभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है:-

रेनुकूट वन प्रभाग	
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नहीं है।
5	प्रस्ताव में 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
6	प्रस्ताव में उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 गणना संलग्न है
	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
	त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 149-151 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 190 पर संलग्न है।
	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 175 पर संलग्न है।
	त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194ए पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2

	किन्तु ब्याज की गणना अद्यतन नहीं की गयी है तथा गणना भी त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 लिये जाने का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें तथा पूर्व की त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
7	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वांछित वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से अनुरोध किया गया था प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एफ पर संलग्न है।
ओबरा वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343 /11सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी /प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 152-154 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।

4	प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 176 पर संलग्न है।
5	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु ओबरा वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	दण्डात्मक एन०पी०वी० की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194बी पर संलग्न है।
6	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन०पी०वी० न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एच पर संलग्न है।
सोनभद्र वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 155-157 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 177 पर

	सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
5	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु ओबरा वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194सी पर संलग्न है।
6	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एच पर संलग्न है।
मीरजापुर वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 158-160 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
4	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र/प्रमाण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 200ए पर संलग्न कर दिया गया है।

5	प्रस्ताव में 10 किमी० की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 178 पर संलग्न है।
6	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु ओबरा वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194डी पर संलग्न है।
7	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन०पी०वी० न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194जी पर संलग्न है।
8	आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में रुपये 626000.00 प्रति हे० की दर से एन०पी०वी० की गणना अपलोड की गयी है, जो कि गलत है। अतः इसे डिलिट करें।	आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail में रुपये 626000.00 प्रति हे० की दर से एन०पी०वी० की गणना अपलोड की गयी है, जो कि प्रस्ताव विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लागत लाभ विश्लेषण में उल्लिखित हरियाली का घनत्व 0.30 के अनुसार है। जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 193 पर संलग्न है।
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर		
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु भारत सरकार की नवीनतम गाईड लाईन के अनुसार पारेषण लाईन हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 260 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में हरियाली घनत्व गलत अंकित है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर	त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 161-163 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन भाग-2 के Additional

	संशोधित लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग-2 में अपलोड करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण आन लाईन भाग-2 के Additional Information Detail से डिलिट करें।	Information Detail से डिलिट कर संशोधित अपलोड कर दिया गया है।
4	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में हरियाली घनत्व गलत अंकित किया गया है। अतः सही हरियाली घनत्व अंकित कर आन लाईन अपलोड करें।	इको क्लास के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194 पर संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाइन अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	सेन्चुरी/वन्य जीव विहार के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 179 पर संलग्न है।
6	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें।	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 46 पर संलग्न कर दिया गया है।
7	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर के द्वारा भाग-3 में संस्तुति नहीं की गयी है तथा आन लाईन भाग-2 में अपलोड भी नहीं है। अतः मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की संस्तुति सहित भाग-3 प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें।	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की संस्तुति सहित भाग-3 प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 45 संलग्न कर दिया गया है तथा आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
8	रेनुकूट वन प्रभाग में उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु ओबरा वन प्रभाग में संलग्न नहीं किया गया है।	दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194ई पर संलग्न है।
9	उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 194एच पर संलग्न है।

अतः आपको रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, मीरजापुर वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि का संशोधित समेकित प्रस्ताव चार-चार प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समेकित प्रस्ताव की तीन

प्रति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 690 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर एवं मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, वि०प्रे०ख०द्वितीय, एस-14/74ए-2 अन्धरा का पुल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

Orc

Received
SDO ERSA-III (287)
10/09/2014